न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 939/2020

अनवान : –

1. महावीर पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिवलाल पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. चन्दोदेवी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजो पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
6. पुनम पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
7. अजय पुत्र जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 7/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380 हैक्ट भूमि में से 9585/447380 हिस्सा भूमि भोमाराम पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भोमाराम पुत्र श्योजीराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है भोमाराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है भोमाराम पुत्र श्योजीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो भोमाराम पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2, 3, 5, 6 जो की वादी की माता/बहन/भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 का हक हिस्सा सुरक्षित रखते हुए उन्हें दिया जा रहा है। इसलिए रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380 हैक्ट भूमि में मृतक भोमाराम के नाम दर्ज 9585/447380 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 11/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4, 7, 8 प्रत्येक 1/25 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक भोमाराम का नाम खारिज कर नामान्तरकरण/ विभाजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5, 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा खोपड़ा खाता संख्या 61, मृत्यु प्रमाण पत्र भोमाराम, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र स्व0 श्री भोमाराम, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र जैता, मृत्यु प्रमाण पत्र जैता देवी, मूल शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि प्रस्तुत किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता भोमाराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीया संख्या 2, 3, 5, 6 जो की वादी की माता/बहन/भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 का हक हिस्सा सुरक्षित रखते हुए उन्हें दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 5, 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वा[illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:44 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380 हैक्ट भूमि में से 9585/447380 हिस्सा भूमि भोमाराम पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता भोमाराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व 5 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 का जितना भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा भोमाराम पुत्र श्योजीराम व जैता पुत्री भोमाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380 हैक्ट भूमि में से 9585/447380 हिस्सा भूमि भोमाराम पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भोमाराम पुत्र श्योजीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 11/25 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 प्रत्येक को 1/25 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:44 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 939 / 2020

अनवान : –

1. महावीर पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिवलाल पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. चन्दोदेवी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजो पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
6. पुनम पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
7. अजय पुत्र जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री जैता पुत्री भोमाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 939 सन 2020 निर्णय दिनांक 7/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 61 / 61 की कुल 44.7380 हैक्ट भूमि में से 9585 / 447380 हिस्सा भूमि भोमाराम पुत्र श्योजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भोमाराम पुत्र श्योजीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 11 / 25 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8 प्रत्येक को 1 / 25 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:44 IST
Reason: SelfAttested